ायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ठासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई०ए०एस०
कदमा नम्बरः—54 / 2018 राजस्व वाद
 बालूलाल मुतबन्ना भूरा कोली, उम्र बालिग निवासी केवाड़ा तहसील व जिला
लवाड़ा (राजस्थान) ------वादिया

बनाम

-राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा (राजस्थान)
-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
(राजस्थान) ---प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

परिस्थतः—

-श्री भीमराज कोली — एडवोकेट—वादी

:: नि र्ण य :: दिनांकः—10.07.2019

संक्षिप्त में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र न्तर्गत धारा 88—89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के रूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम केवाड़ा पटवार हल्का केवाड़ा तहसील व ला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 633 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 634 रकबा 2 बिस्वा, 635 रकबा 11 बिस्वा भूमि वादी व उसके पिता के भाई देबी, गिरधारी पिता ंदा कोली के नाम पर दर्ज हैं। वादी के परिवार का पारिवारिक सजरा इस प्रकार हैः—

गेंदा
I---------------I----------------I
देबी पुत्र (ला.औ.फौत) भूरा (फौत) गिरधारी(ला.औ.फौत)
I
I-----------------------I
गंगा बाई (फौत) बालूलाल (गोदपुत्र)

ादी के पिता भूरा के भाई देबीलाल का दिनांक 25.7.1990 को लाऔलाद फौत हो चुके व गिरधारी जी का दिनांक 3.8.1980 को लाऔलाद फौत हो चुके है, जिनके मृत्यु माण—पत्र की प्रति संलग्न हैं। व भूरा जी की पत्नि श्रीमति गंगा देवी का दिनांक 18.9. 005 को हो चुका हैं। जिसके मृत्यु प्रमाण—पत्र की प्रति साथ संलग्न हैं। इस प्रकार बी, गिरधारी पिता गेदा कोली लाऔलाद फौत हो चुके हैं। जिनके वादपत्र की चरण ंख्या 2 में वर्णित पारिवारिक सजरे अनुसार वादी जो की उनका भतीजा होकर एक ात्र विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है व वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित राजियात का विरासत नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवाने का अधिकारी हैं। जिस तु पटवार हल्का को भी मृत्यु प्रमाण—'पत्र पेश कर नामान्तरकरण उनके नाम पर

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

ने में सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती अतः

:: आ दे श ::

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध वादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम केवाड़ा पटवार हल्का वाड़ा–द्वितीय तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 633 रकबा 1 ा 11 बिस्वा, 634 रकबा 12 बिस्वा, 635 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 2 बीघा बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उसी अनुसार वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन । तदनुसार डिक्री जारी हों।

(टीना डाबी)
आई. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 08.07.2019 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले र्यालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा